कार्यालय उप निदेशक फायर सर्विस, लखनऊ।

संख्याःप-1880/एफएस-13

दिनांकः अगस्त 27,2013

सेवा में,

अधि0 अभियन्ता जोन-8,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषयः- **शालीमार के0एस0एम0बी0 प्रोजेक्ट्स द्वारा ग्राम धैला एवं अलीनगर के अन्तर्गत खसरा संख्या-2,3,4,5 व अन्य एवं ग्राम-अलीनगर खसरा नं0-5,23,26 व अन्य के संयुक्त भू-भाग पर प्रस्तावित तलपट मानचित्र के अग्निशमन विभाग से अनापत्ति, अनापत्ति आख्या दी जाने के संबंधमें।**

कृपया अपने पत्र संख्या-62(1)/अ0अ0-8/2012 दिनांक-19.07.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो उपरोक्त विषयक है।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत ले आउट मानचित्र का एन0बी0सी0-2005 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, बी0के0टी0 द्वारा निरीक्षण / परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन किया गया, आख्या निम्नवत है:-

भवन की संरचना-

कुल प्लाट एरिया 292396.00 वर्ग मीटर जिसमें प्रस्तावित भवनों का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	विवरण	एरिया (वर्ग मीटर में)	अधिभोग
1	रो हाउसेज/विलाज	105489.66	आवासीय
2	ग्रुप हाउसिंग प्लाट	53605.85	आवासीय
3	एल0आई0जी0 हाउसिंग प्लाट	5600.00	आवासीय
4	ई0डब्लू0एस0 हाउसिंग प्लाट	4307.69	आवासीय
5	स्कूल	4000.00	एजूकेशनल
6	कम्यूनिटी सेन्टर	5389.82	एसैम्बली
7	कन्वेनियन्ज शापिंग	2341.54	व्यवसाय
8	सब पोस्ट आफिस	100.00	कार्यालय
9	गारवेज डिस्पोजल	90.00	-
10	आगनवांड़ी	500.00	एसैम्बली/कार्यालय

ढॉचागत व्यवस्था-

पहुंच मार्ग- प्रस्तुत ले आउट मानचित्र में रोड की चौड़ाई 46.20 मीटर मानकों के अनुसार अंकित की गयी है जिसपर अग्निशमन वाहन सुगमतापूर्वक आ-जा सकते है।

प्रवेश द्वारा- प्रवेश द्वारा की चौड़ाई 06.00 मीटर से कम एवं गेट पर आर्च होने की दशा में न्यूनतम ऊँचाई 06 मीटर (एन्ट्री एवं एग्जिट) मानकों के अनुसार की जाय।

3-सेट बैक- प्रत्येक प्लाट में भवन विनियमावली के अनुसार सेटबैक छोड़े जाने अनिवार्य होगें तथा इण्टरनल रोड की चौड़ाई भवन विनियमावली के अनुसार छोड़े जाने अनिवार्य होगें।

इण्टर डिस्टेन्स विटविन ब्लाक- प्रत्येक प्लाट में इण्टर डिस्टेन्स विटविन ब्लाक भवन विनियमावली के अनुसार सेटबैक छोड़े गये है जिनको बनाये रखा जाना अनिवार्य है तथा इण्टरनल रोड की चौड़ाई भवन विनियमावली के अनुसार छोड़े जाने अनिवार्य होगे।

अग्निशमन व्यवस्था-

1- समस्त टाउनशिप में सामूहिक अग्नि सुरक्षा हेतु भूमिगत टैंक क्षमता 200000(दो लाख) ली0 व 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का मेन विद्युत चालित पम्प समकक्ष क्षमता का डीजल चालित पम्प एवं 180 एल0पी0एम0 क्षमता का जाकी पम्प, पूरे परिसर में प्रत्येक 45 मीटर पर यार्ड हाइड्रेन्ट की व्यवस्था मानकों के अनुसार वांछनीय होगी।

2- आवेदक द्वारा मानचित्रों में प्रस्तावित अलग-अलग फैशिलिटीज को सांकेतिक किया गया है जिसमें फायर सर्विस वाहनों की मोटरविल्टी भी दर्शायी जाय एवं इण्टर डिस्टेन्स विटविन ब्लाक एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार रखी जानी अनिवार्य होगी।

C.F.O.
L.K.W.

3- प्रस्तावित भवनों हेतु मानचित्र तैयार कर अलग से अग्निशमन विभाग द्वारा अनुमोदन प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा जिसमें अलग-अलग भवनें में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वांछनीय होगी व विकास उपविधि-2008 की समस्त मानक वांछनीय होगें।

4- लेआउट में प्रदर्शित हाइटेन्सन लाइन के नीचे तथा दोनो तरफ मानक के अनुसार निर्धारित खाली स्थान छोड़ा जाना अनिवार्य होगा।

अतः मेसर्स शालीमार के0एस0एम0बी0 प्रोजेक्ट्स द्वारा ग्राम घैला एवं अलीनगर के अन्तर्गत खसरा संख्या-2,3,4,5 व अन्य एवं ग्राम-अलीनगर खसरा नं0-5,23,26 जनपद लखनऊ में प्रस्तावित तलपट मानचित्र पर अग्निशमन विभाग को मानको के अनुसार किसी प्रकार की आपत्ति नही है तथा तलपट मानचित्र में प्रस्तावित भवनों के निर्माण हेतु मानचित्रों पर अलग से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

24/8/17

(एच.एस.मलिक)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः-

1- शालीमार के0एस0एम0बी0 प्रोजेक्ट्स निवासी-24 न्यू बैरी रोड लखनऊ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ ।

2- अग्निशमन अधिकारी, बी0के0टी0 को आ0का0 हेतु।